



2026:AHC-LKO:12275-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 1470/2026

मौलाना अम्मार हसनी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन लखनऊ
के माध्यम से और 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार कश्यप
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., प्रखर मिश्रा, रत्नेश चंद्र

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मिश्रा को सुना, जिन्होंने आज उनकी तरफ से वकालतनामा दाखिल किया है।



2. याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहता है, साथ ही विधि के अंतर्गत अनुमेय हो, नई याचिका दाखिल करने की भी अनुमति चाहता है।

3. उपर्युक्त स्वतन्त्रता के साथ जैसाकि विधि में अनुमति हो रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

17 फरवरी 2026

अनुज सिंह